

### अनुसूचित जाति उप आयोजना/जनजातीय उप आयोजना

योजना आयोग ने समय-समय पर एससीएसपी/टीएसपी को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा इनकी मानिट्रिंग करने के संबंध में मार्गनिर्देश जारी किए थे। अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उप आयोजना (एससीएसपी) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप आयोजना (टीएसपी) का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में सामान्य क्षेत्रों से संसाधनों के प्रवाह को सारणीकृत करना है, कम से कम जनसंख्या में उनकी संख्या के अनुपालन में, वास्तविक और वित्तीय दोनों संदर्भ में। इन घटकों के अंतर्गत आवंटन उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के सृजन के प्रयोजन, पर्याप्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तथा सभी प्रकार के शोषण और दमन के खिलाफ वास्तविक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

2. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आयोजना आवंटनों के भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप आयोजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप आयोजना (टीएसपी) के लिए पृथक आवंटन करने हेतु पहल की थी। ये आवंटन योजना आयोग तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के बीच हस्तक्षरित समझौता ज्ञापन में स्पष्ट रूप से भी दर्शाए गए हैं। सरकार ने समर्पित लघुशीर्ष "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (कोड 789)" तथा "जनजातीय उप आयोजना (कोड 796)" खोलकर ऐसे आवंटनों की जवाबदेही के लिए उपयुक्त लेखकन तंत्र सृजित किया है। उन मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें योजना आयोग द्वारा आयोजना समझौते के भाग के रूप में, उनके बजट में ऐसे आवंटन किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवर्धित लघु शीर्ष में प्रावधान ठीक तरह से प्रदर्शित किए गए हैं। इन लघुशीर्षों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों को पुनः विनियोजित किए जाने की अनुमति नहीं है, एससीएसपी तथा टीएसपी के अंतर्गत अन्य योजनाओं में समान लघु शीर्षों को छोड़कर, जिससे विचलन की किसी संभावना को रोक जा सके।

### विवरण 21

#### अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
<b>अनुसूचित जाति उप-आयोजना स्कीम मांग संख्या 1</b>				
<b>कृषि और सहकारिता विभाग</b>				
1. कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन	1.22	2.80	1.60	1.61
2. जूट प्रौद्योगिकी मिशन	0.75	2.50	0.98	1.00
3. इसोपोम	94.67	90.00	36.50	55.00
4. गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण	47.38	55.00	23.00	50.00
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	259.98	320.00	321.91	400.00
6. केंद्रीय संस्थाओं को विस्तार सहायता	1.56	2.50	1.50	2.00
7. कृषि विस्तार को जन प्रचार सहायता	25.00	55.00	55.00	60.00
8. कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना	2.00	3.00	2.73	3.00
9. राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता	59.48	75.00	68.15	85.00
10. राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता परियोजना प्रबंधन	1.25	0.00	0.00	0.00
11. निवेश पूंजी सखिडी योजना सहित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	31.00	30.00	20.00	30.00
12. नारियल पर प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)	7.00	5.00	5.00	7.00
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालय से सटे राज्यों के लिए बागवानी मिशन	42.98	55.00	54.99	50.00
14. राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन	7.50	15.00	9.00	9.00
15. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	237.91	350.00	320.30	360.00
16. राष्ट्रीय बागवानी मिशन	210.00	350.00	244.40	300.00
17. पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ कृषि और सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का सुदृढीकरण	1.28	4.00	0.00	0.00
18. राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स आयोजना-कृषि	0.00	18.00	1.46	0.50
19. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	57.06	76.00	131.00	350.00
20. मौसम आधारित फसल बीमा	90.00	95.00	95.00	120.00
21. कृषि का बृहत प्रबंधन	150.00	170.00	130.19	0.00
22. प्रशिक्षण एवं परीक्षण प्रदर्शन के जरिए कृषि योजना का उन्नयन व सुदृढीकरण	0.00	1.00	1.00	2.00

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
23. फसलोत्तर प्रौद्योगिकी व प्रबन्धन	0.00	1.00	1.00	2.00
24. नारियल बागीचों के पुनर्पौधीकरण तथा पुनर्नवीकरण के लिए अनुदान	0.00	5.00	9.00	0.00
25. ग्रामीण गोदाम का निर्माण	34.00	0.00	0.00	0.00
26. बाजार, अवसंरचना ट्रेडिंग तथा बाजार मानकीकरण का विकास	45.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>1407.02</b>	<b>1780.80</b>	<b>1533.71</b>	<b>1888.11</b>
<b>मांग सं. 3</b>				
<b>पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग</b>				
1. एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम	0.00	10.00	0.00	0.00
2. राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना	31.62	45.00	20.00	38.75
3. कुक्कुट विकास	6.93	10.05	7.00	8.50
4. पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड	1.28	7.50	2.00	0.00
5. छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	2.99	2.45	1.00	0.00
6. शुकर विकास	1.00	3.00	3.00	0.00
7. चारा और दाना विकास योजना	8.00	11.00	13.00	27.00
8. पशु गणना	0.00	7.00	35.00	9.00
9. राष्ट्रीय गौ-जातीय प्रजनन कार्यक्रम	0.00	0.10	0.00	0.00
10. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	25.94	66.20	54.96	62.00
11. सहकारी समितियों को सहायता	0.50	1.60	0.60	0.00
12. डेयरी उद्यमिता विकास	15.00	25.00	53.46	69.80
13. डेयरी विकास परियोजना	4.52	17.50	14.03	31.00
14. राष्ट्रीय डेयरी आयोजना	0.00	23.25	31.25	0.00
15. समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और फसल-पशु कार्य का विकास	12.00	14.50	11.48	18.00
16. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण और मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार	5.00	8.00	2.00	8.00
17. अंतर्देशीय मात्स्यिकी और झींगापालन	2.26	7.50	2.00	8.00
18. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	18.00	25.00	21.81	22.00
19. पशुधन बीमा	8.00	12.00	10.00	16.00
20. 31 आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज	1.24	12.35	9.00	10.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>144.28</b>	<b>309.00</b>	<b>291.59</b>	<b>328.05</b>
<b>मांग संख्या 11</b>				
<b>वाणिज्य विभाग</b>				
1. टी बोर्ड	10.00	10.00	10.00	20.00
2. कॉफी बोर्ड	5.00	5.00	5.00	5.00
3. रबर बोर्ड	10.00	10.00	10.00	10.00
4. मसालें	5.00	5.00	5.00	5.00
5. असाइड	53.43	64.00	64.00	60.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>83.43</b>	<b>94.00</b>	<b>94.00</b>	<b>100.00</b>
<b>मांग संख्या 12</b>				
<b>औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग</b>				
1. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	28.18	12.00	5.80	42.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>28.18</b>	<b>12.00</b>	<b>5.80</b>	<b>42.00</b>
<b>मांग संख्या 15</b>				
<b>इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>				
1. ई-गवर्नेंस	0.00	21.75	21.75	21.75
2. आम जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	0.88	4.58	1.32	0.00
3. जन शक्ति विकास	0.00	2.55	2.55	5.00
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)	22.23	22.62	22.62	24.75
5. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	7.50	7.50	2.50	7.50
6. एनआईईईएलआईटी (पूर्ववृत्ती डीओईएसीसी)	0.00	1.00	1.00	1.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>30.61</b>	<b>60.00</b>	<b>51.74</b>	<b>60.00</b>
<b>मांग संख्या 29</b>				
<b>पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय</b>				
1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1869.98	2310.00	2310.00	2420.00
2. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	309.88	770.00	550.00	938.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>2179.86</b>	<b>3080.00</b>	<b>2860.00</b>	<b>3358.00</b>

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
<b>मांग संख्या 31</b>				
<b>पर्यावरण और वन मंत्रालय</b>				
1. पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता	0.00	1.00	1.00	1.00
2. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	0.00	17.46	17.46	13.00
3. वन प्रबंधन का सघनीकरण (पूर्ववर्ती एकीकृत वन संरक्षण योजना)	1.31	1.50	1.00	0.00
4. वन्य जीव पर्यावास का एकीकृत विकास	0.85	1.50	1.50	2.50
5. प्रोजेक्ट टाइगर	15.72	6.00	6.00	6.00
6. प्रोजेक्ट ऐलीफेन्ट	0.61	1.00	1.00	1.00
7. राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम	20.00	20.00	13.00	20.00
8. ग्रीन इंडिया मिशन	0.00	5.00	2.40	9.96
<b>उप-जोड़</b>	<b>38.49</b>	<b>53.46</b>	<b>43.36</b>	<b>53.46</b>
<b>मांग संख्या 47</b>				
<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग</b>				
1. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	7.85	0.00	0.00	0.00
2. राष्ट्रीय डायबीटिज, सीबीडी और स्ट्रोक से बचाव और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	15.07	45.60	26.60	73.75
3. राष्ट्रीय वायु जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	68.88	113.53	54.54	0.00
4. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	27.34	57.56	47.00	0.00
5. संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम	60.92	140.95	120.95	0.00
6. राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम	6.54	10.12	10.12	0.00
7. अवसंरचना का रखरखाव	713.57	978.11	1012.04	995.70
8. दवाओं और गर्भनिरोधकों की आपूर्ति	0.00	57.06	19.86	0.00
9. प्रतिरक्षण	187.14	317.93	245.09	0.00
10. सूचना शिक्षा तथा संचार	17.21	0.00	0.00	0.00
11. राज्य पीआईपी के लिए फ्लैक्सिबल पूल	2289.55	2141.49	2051.08	0.00
12. एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	0.00	12.31	2.50	0.00
13. उन्नत द्वितीयक परीक्षण उपलब्ध कराने वाले जिला अस्पतालों का सुदृढीकरण	0.00	19.54	0.00	0.00
14. देश के सभी जनस्वास्थ्य संस्थाओं मुफ्त जेनरिक दवाओं की व्यवस्था करना	0.00	19.54	0.00	0.00
15. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.00	19.80	15.23	30.31
16. क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता	0.00	15.20	6.79	13.44
17. वयोवृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल	0.00	22.80	15.20	20.20
18. राज्य सरकारी मेडिकल कालेजों का स्तरोपयन	0.00	53.20	38.00	0.00
19. नर्सिंग सेवाओं का स्तरोपयन/सुदृढीकरण	0.00	45.60	16.72	0.00
20. पैरा चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढीकरण/सृजन	0.00	30.40	7.60	0.00
21. गर्भ निरोधकों का मुफ्त वितरण	0.00	22.56	22.56	0.00
22. एनआरएचएम-आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल	0.00	0.00	0.00	2579.66
23. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	0.00	0.00	0.00	0.20
24. संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल	0.00	0.00	0.00	282.08
25. गैर संचारी रोगों, चोट तथा ट्रामा सेंटर के लिए फ्लैक्सिबल पूल	0.00	0.00	0.00	173.75
26. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन	0.00	0.00	0.00	232.68
27. राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	20.20
28. राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	11.11
<b>उप-जोड़</b>	<b>3394.07</b>	<b>4123.30</b>	<b>3712.88</b>	<b>4433.08</b>
<b>मांग सं. 48</b>				
<b>आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी विभाग (आयुष)</b>				
1. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	0.20	0.30	0.30	1.00
2. केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद्	8.00	8.00	8.00	8.00
3. केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद्	5.00	5.00	5.00	3.00
4. केन्द्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद्	2.00	2.00	2.00	5.00
5. राष्ट्रीय जड़ी-बूटी बोर्ड	0.00	4.80	4.80	6.00
6. संस्थानों का विकास	0.00	5.40	1.00	8.00
7. अस्पताल और औषधालय (एनआरएचएम के अंतर्गत)	0.00	18.00	6.40	14.45
8. राष्ट्रीय जड़ी-बूटी मिशन	0.00	6.00	6.00	8.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>15.20</b>	<b>49.50</b>	<b>33.50</b>	<b>53.45</b>

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
<b>मांग संख्या 50</b>				
<b>एड्स नियंत्रण विभाग</b>				
1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	258.40	267.45	271.32
<b>उप-जोड़</b>	<b>0.00</b>	<b>258.40</b>	<b>267.45</b>	<b>271.32</b>
<b>मांग संख्या 58</b>				
<b>आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</b>				
1. शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी के तहत एससीएसपी के लिए संघटक	11.25	2.25	1.12	5.68
2. स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)	220.28	229.12	143.38	284.69
3. एकीकृत कम लागत स्वच्छता कार्यक्रम योजना के तहत एससीएसपी के लिए संघटक	15.97	4.50	18.00	38.13
4. खोमचे वालों की सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना	0.00	12.00	0.00	0.00
5. शहरी बेघरों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	12.00	0.00	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>247.50</b>	<b>259.87</b>	<b>162.50</b>	<b>328.50</b>
<b>मांग संख्या 59</b>				
<b>स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग</b>				
1. सर्व शिक्षा अभियान	3920.48	5111.00	4728.78	5451.60
2. राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम)	1781.10	2387.40	2301.57	2643.00
3. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण	68.42	100.00	58.40	100.00
4. महिला समाख्या	10.00	12.00	12.00	12.00
5. प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता (एनजीओ/जेएसएस/एसआरसी की विलयित योजनाएं)	19.16	21.00	16.09	20.00
6. प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास योजना	94.16	118.40	84.30	114.40
7. राष्ट्रीय बाल भवन	0.80	2.80	1.09	1.60
8. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	1.90	1.80	0.68	1.80
9. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.40
10. माध्यमिक विद्यालयों के लिए बालिकाओं हेतु प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना	68.69	67.00	67.00	66.20
11. नवोदय विद्यालय समिति	240.00	250.00	250.00	250.00
12. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	70.00	70.00	70.00	70.00
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	5.00	3.00	2.34	3.00
14. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय)	0.70	0.00	0.00	0.02
15. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन	1.43	0.00	0.00	0.00
16. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	512.26	624.80	625.80	796.60
17. उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 माडल विद्यालयों की स्थापना की स्कीम	216.34	216.00	161.36	200.00
18. माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अपंगों के लिए समावेशी शिक्षा	8.92	14.00	5.61	10.00
19. राष्ट्रीय साधन सह गुणवत्ता छात्रवृत्ति स्कीम	12.06	14.00	14.00	14.00
20. शिक्षा का व्यवसायीकरण	2.66	20.00	16.00	16.02
21. पहुंच एवं साम्यता	0.02	0.00	0.00	0.00
22. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन की स्कीम	0.02	89.44	60.40	90.00
23. विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	98.26	70.00	70.00	70.00
24. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम	0.99	1.16	0.38	1.16
<b>उप-जोड़</b>	<b>7133.37</b>	<b>9193.80</b>	<b>8545.80</b>	<b>9931.80</b>
<b>मांग संख्या 60</b>				
<b>उच्चतर शिक्षा विभाग</b>				
1. यू.जी.सी.	855.62	1042.46	957.63	868.05
2. इग्नू	15.00	15.75	15.75	18.75
3. आई.आई.टी.	180.60	180.00	199.80	360.00
4. आई. आई.टी., ग्वालियर	4.50	5.25	5.25	0.00
5. आई. आई.टी., इलाहाबाद	8.25	7.50	10.50	0.00

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
6. आई. आई.टी., जबलपुर	8.25	6.75	9.75	0.00
7. एन.आई.टी.	144.00	150.00	199.80	195.00
8. एन.आई.टी.आई.ई., मुंबई	2.55	5.55	0.90	0.90
9. एन.आई.एफ.एफ.टी., रांची	2.10	2.40	3.60	0.00
10. एन.आई.टी.टी.टी.आर.	3.52	5.25	4.80	5.25
11. एस.पी.ए., नई दिल्ली	1.35	1.50	0.94	12.75
12. आई.एस.एम., धनबाद	15.00	16.50	20.26	16.50
13. कम्युनिटी पालिटेकनिक्स	7.38	44.02	17.60	0.00
14. संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	1.08	2.40	1.58	0.00
15. आई.आई.एम.	32.25	27.00	19.25	52.50
16. आई.आई.एस.सी, बंगलुरु	20.10	22.50	27.00	0.00
17. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (आईसीटी)	56.42	127.50	33.30	60.00
18. आईआईएसईआर	87.00	97.50	102.00	0.00
19. नई आईआईटी की स्थापना	95.76	120.00	107.28	0.00
20. कुल विद्यार्थियों के 2% के लिए छात्रवृत्ति (यूनिवर्सिटी/कॉलेज विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति)	24.00	37.50	23.72	52.50
21. प्रशिक्षु प्रशिक्षण सहित बीओएटीएस	5.24	7.50	8.49	7.88
22. आईआईआईटीडीएम, कांचीपुरम	11.25	12.00	12.00	0.00
23. सीआईटी कोकराझार	0.20	0.22	0.50	0.00
24. नए आईआईटी	0.00	3.75	1.20	4.50
25. नए एसपीए	3.75	5.25	10.50	0.00
26. नए एनआईटी की स्थापना	12.00	18.00	21.00	0.00
27. नए आईआईएम	12.00	22.50	22.50	0.00
28. मौजूदा पोलिटेक्निक का उन्नयन/नया पोलिटेक्निक की स्थापना	121.22	126.00	63.00	0.00
29. आईसीएचआर	0.88	1.20	0.82	0.00
30. आईआईएस, शिमला	1.16	0.83	1.88	0.00
31. आईसीपीआर	0.75	0.90	0.78	0.00
32. पीएचआईएसपीसी	0.09	0.00	0.00	0.00
33. एनसीआरआई	0.00	0.90	0.27	0.00
34. शिक्षा ऋण ब्याज	37.99	40.00	40.00	0.00
35. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	8.85	9.00	13.42	0.00
36. एआईसीटीई	34.50	60.00	60.00	63.00
37. तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	27.34	52.50	29.64	60.00
38. राज्य इंजीनियरिंग संस्थानों का विस्तार और उन्नयन	0.00	0.60	0.00	0.00
39. आईआईएसटी की स्थापना	0.00	0.15	0.00	4.50
40. सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	0.00	0.15	0.05	15.00
41. पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास	9.81	15.00	10.50	0.00
42. आईसीएसएसआर	5.10	15.00	13.89	0.00
43. केंद्रीय हिंदी निदेशालय	0.42	0.75	0.00	2.40
44. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा	0.30	0.50	0.50	0.00
45. महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	1.20	1.20	3.20	0.00
46. एनयूईपीए (जिसमें उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए भी निधि शामिल है)	1.26	1.60	1.42	2.55
47. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर (एनईआरआईएसटी)	0.00	0.10	0.05	0.00
48. राष्ट्रीय अध्यापक एवं प्रशिक्षण मिशन	0.00	0.15	0.00	15.00
49. विस्तार समावेशन और उत्कृष्टता वाले राज्यों को प्रोत्साहन	0.00	0.15	0.00	0.00
50. राज्यों को प्रोत्साहन	0.00	0.15	0.16	0.00
51. रोजगार एवं कौशल	0.00	0.15	0.16	0.00
52. अशक्त व्यक्तियों के लिए पॉलिटेक्निक	0.00	0.75	0.27	0.00
53. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) मैसूर	0.30	2.50	0.00	7.50
54. केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) चैन्नई	0.00	1.92	0.00	0.00
55. मानविकी तथा सामाजिक ज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	19.50
56. भारतीय भाषाओं में गुणवत्तावाली उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.15

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
57. उच्च शिक्षा में विकलांगता के साथ समावेश संबंधी राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.15
58. सामाजिक दायित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.15
59. खेलों तथा स्वस्थता संबंधी राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	0.15
60. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान	0.00	0.00	0.00	82.50
61. गारंटी निधि में ब्याज सब्सिडी तथा अंशदान	0.00	0.00	0.00	165.00
62. कापीराइट तथा आईपीआर का संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.90
63. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	34.50
64. अभिशासन तथा प्रत्यायन प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.15
65. शैक्षणिक नेतृत्व के लिए संस्थाओं/अकादमियों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.15
66. सांख्यिकी तथा जनसूचना प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	0.15
67. वेब आधारित उच्चशिक्षा द्वारा प्रबंधन प्रणाली	0.00	0.00	0.00	0.15
68. उच्च शिक्षा अनुसंधान केन्द्र लम्बवत अध्ययन और सर्वेक्षण का संचालन	0.00	0.00	0.00	0.15
69. आईआईएससी तथा आईआईएसईआर को सहायता	0.00	0.00	0.00	128.93
70. आईआईटी (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर तथा कांचीपुरम) को सहायता	0.00	0.00	0.00	33.00
71. एसएलआईटी, एनआईआरआईटी, एनआईएफएफटी, रांची, सीआईटी, कोकराझार सहित अन्य संस्थाओं को सहायता	0.00	0.00	0.00	10.20
72. बहु-विधात्मक अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उत्कृष्टा केन्द्र का सृजन तथा प्रणाली का सृजन	0.00	0.00	0.00	0.15
73. अंतर-संस्थागत केन्द्र की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.15
74. डिजाइन नवीनता के लिए राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	3.75
75. प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए राष्ट्रीय पहल	0.00	0.00	0.00	3.75
76. प्रबंधन, फार्मसी शिक्षा तथा होटल प्रबंधन के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.15
77. राज्यों में पोलीटेक्निक्स के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	105.00
78. सामुदायिक कालेजों सहित कौशल आधारित उच्च शिक्षा के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	4.50
79. आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	0.00	0.00	0.00	7.50
80. न्यायाधिकरण प्रत्यायन प्राधिकरण की स्थापना तथा एनसीएचईआर	0.00	0.00	0.00	0.15
81. राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन	0.00	0.00	0.00	3.00
82. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	0.00	0.00	0.00	1.20
83. आरोविल प्रबंधन उप-जोड़	0.00	0.00	0.00	1.80
<b>मांग सं. 62</b>	<b>1860.34</b>	<b>2318.70</b>	<b>2076.91</b>	<b>2431.51</b>
<b>श्रम और रोजगार मंत्रालय</b>				
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए नई वीआरसी की स्थापना तथा उन्हें बनाए रखना	0.09	0.60	0.60	0.80
2. सीजीसी	0.85	4.20	4.20	4.63
3. मिशन मोड परियोजना	0.00	3.00	0.77	0.00
4. प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन	1.97	6.16	5.98	13.20
5. एनआईएमआई	0.00	0.65	0.65	0.69
6. एफटीआई	0.11	1.39	1.34	0.00
7. एमआईटीआई	0.09	1.38	1.32	0.00
8. परियोजना का कार्यान्वयन	0.00	0.81	0.68	0.00
9. भवन निर्माण उपस्कर	0.41	1.80	2.05	0.00
10. सीएलसी (सी) प्रशिक्षण स्कंध	0.08	0.00	0.00	0.00
11. सीबीडब्ल्यूई	2.14	4.00	4.00	3.20
12. एनएलआई	0.73	2.69	1.92	0.97
13. बाल श्रम	23.47	20.00	16.00	32.40
14. श्रम तथा रोजगार सांख्यिकी प्रणाली	1.57	0.00	0.00	0.00
15. बेहतर समाधान सेवा तथा कार्यालय अवसंरचना के उन्नयन के लिए मशीनरी	0.93	0.00	0.00	0.00
16. डीजीएमएस (सॉफ्टवेयर)	0.90	0.00	0.00	0.00

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
17. राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद का विकास	0.48	0.00	0.00	0.00
18. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	1.62	0.00	0.00	0.00
19. 100 आईटीआई का उन्नयन	0.00	0.02	0.00	0.00
20. बीएल का पुनर्वास	0.00	3.00	3.00	0.00
21. दक्षता विकास पहल	6.00	56.36	40.36	95.32
22. जम्मू एवं कश्मीर के 8000 युवाओं का प्रशिक्षण	0.00	0.16	0.00	0.00
23. कौशल विकास योजना	0.00	19.80	12.15	0.58
24. 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन	0.00	0.81	0.00	0.00
25. ईएपी संघटक	0.00	15.95	15.95	24.30
26. स्वास्थ्य बीमा आरडब्ल्यू	189.75	242.00	226.09	230.09
27. डीजीईटी के भीतर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का विस्तार	0.00	2.00	2.17	1.94
28. सरकारी निजी भागीदारी पद्धति में महिलाओं के लिए एटीआई और आरवीटीआई की स्थापना करना	0.25	0.00	0.00	0.00
29. वामपंथी अतिवाद प्रभावित 34 जिलों का दक्षता विकास	0.00	8.10	8.10	0.00
30. ई-शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम	0.00	0.16	0.16	0.03
31. एनसीवीटी का पुनर्सृजन तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता का विकास	0.00	0.33	0.33	0.07
32. ट्रेड परीक्षण और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना	0.00	0.46	0.46	0.32
33. विदेश में प्रशिक्षण के साथ दक्षता विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.00	0.66	0.66	0.32
34. एटीआई और आरवीटीआई की स्थापना	0.04	0.05	0.05	0.00
35. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना	0.00	3.60	3.60	0.00
36. प्रशिक्षु प्रशिक्षण में नए क्षेत्रीय निदेशालयों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.03
<b>उप-जोड़</b>	<b>231.48</b>	<b>400.14</b>	<b>352.59</b>	<b>408.89</b>
<b>मांग संख्या 66</b>				
<b>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय</b>				
1. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	149.99	156.46	156.46	187.50
2. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	2.55	2.40	2.00	2.40
3. खादी उद्योग के कारीगरों के लिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन हेतु योजना	0.00	1.80	0.01	1.80
4. नारियल जटा उद्योगों का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन	0.00	1.90	0.00	1.90
5. परम्परागत उद्योगों के पुन सृजन हेतु निधि की योजना	0.00	6.64	0.60	6.65
6. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	0.00	6.00	0.00	6.00
7. मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना सुदृढ़ करने और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता	0.35	0.90	0.70	0.90
8. बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन और नीति सहित)	0.00	0.01	0.00	0.01
9. केवीआई क्षेत्र (डीआईएसके) में अवसंरचना और कौशल विकास	0.00	0.01	0.00	0.01
10. ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना और ग्रामोद्योग की विद्यमान कमजोर संस्थाओं का विकास (प्रोवाइड)	0.00	0.01	0.00	0.01
11. सामान्य प्रशिक्षण विस्तार, गुणवत्ता सुधार में महिला कॉयर योजना और कार्यक्रम उपायों आदि की योजना	0.00	5.40	2.85	5.40
12. स्फूर्ति (इसमें शामिल 5 मौजूदा स्कीमों के साथ) (केवीआई)	0.00	0.01	0.00	0.01
13. खादी के लिए एमडीए के साथ खादी अनुदान	0.00	13.45	20.30	13.45
14. ग्रामोद्योग (vi)-अनुदान	0.00	8.96	8.96	8.96
15. ब्याज सहायता पात्रता प्रमाणपत्र	0.00	0.01	0.00	0.01

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
16. खादी दस्तकारों के लिए जनश्री बीमा योजना	0.00	0.01	0.01	0.01
17. विशेष तौर पर विरासतपूर्ण और हरित उत्पाद (स्पोक) के रूप में खादी संवर्धन के लिए खादी/vi-एनएनटी एंड स्कीम	0.00	0.01	0.00	0.01
18. एक कालिक तौर पर लिए गए पुराने ऋणों/ऋण लिखतों को बट्टे खाते डालने की स्कीम	0.00	0.01	0.00	0.00
19. स्फूर्ति (कॉयर)	0.00	0.01	0.00	0.01
20. प्रौद्योगिकी सहायता संस्थाओं तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता	0.00	0.00	2.15	2.00
21. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं तथा कार्यक्रम	0.00	0.00	10.55	11.00
22. एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम तथा एमएसई वृद्धि पोल	0.00	0.00	41.29	51.00
23. ऋण सहायता कार्यक्रम	0.00	0.00	5.00	17.00
24. डाटाबेस का उन्नयन	0.00	0.00	0.01	0.00
25. राष्ट्रीय नवोत्पाद निधि	0.00	0.00	27.00	24.00
26. निदेश इक्विटी शेयर पूंजी (एनएसआईसी)	0.00	0.00	18.60	0.00
27. निष्पादन तथा ऋण रेटिंग स्कीम	0.00	0.00	1.00	2.00
28. विपणन सहायता स्कीम	0.00	0.00	1.20	2.00
29. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	0.00	0.00	0.00	0.20
30. प्रशिक्षण संस्थाएँ	0.00	0.00	11.00	13.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>152.89</b>	<b>204.00</b>	<b>309.69</b>	<b>357.24</b>
<b>मांग सं. 69</b>				
<b>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>				
1. ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीयऊर्जा	32.97	25.00	25.00	43.23
2. सुदूरवर्ती गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	5.00	0.00	0.00	0.00
3. सभी गांवों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	4.00	23.50	15.25	10.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>41.97</b>	<b>48.50</b>	<b>40.25</b>	<b>53.23</b>
<b>मांग संख्या 71</b>				
<b>पंचायती राज मंत्रालय</b>				
1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	14.43	0.00	14.58	0.00
2. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	0.00	0.00	0.29	0.49
3. ग्रामीण व्यापार केन्द्र	0.09	0.49	0.00	0.00
4. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	0.00	33.12	8.10	75.00
5. राज्यों को संसाधनगत सहायता	0.00	0.81	0.81	0.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>14.52</b>	<b>34.42</b>	<b>23.78</b>	<b>75.49</b>
<b>मांग संख्या 76</b>				
<b>विद्युत मंत्रालय</b>				
1. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता-आरजीजीवीवाई	0.00	600.00	299.78	709.36
2. त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)	156.11	200.00	90.98	90.64
<b>उप-जोड़</b>	<b>156.11</b>	<b>800.00</b>	<b>390.76</b>	<b>800.00</b>
<b>मांग संख्या 83</b>				
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>				
1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	713.63	1033.76	635.67	999.94
2. ग्रामीण आवास-इन्दिरा आवास योजना	3529.92	3908.37	3184.07	5358.43
<b>उप-जोड़</b>	<b>4243.55</b>	<b>4942.13</b>	<b>3819.74</b>	<b>6358.37</b>
<b>मांग संख्या 84</b>				
<b>भू-संसाधन विभाग</b>				
1. सिंचित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	259.99	494.10	470.37	872.69
2. राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिककरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)	33.75	24.38	21.32	61.16
<b>उप-जोड़</b>	<b>293.74</b>	<b>518.48</b>	<b>491.69</b>	<b>933.85</b>
<b>मांग सं. 85</b>				
<b>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</b>				
1. अनुसंधान और विकास सहायता (एससीआरसी)-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुविधात्मक अनुसंधान	0.00	8.00	0.00	0.00
2. प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	0.33	6.00	0.35	0.00
3. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एसएंडटी कार्यक्रम	2.97	9.00	4.00	29.00
4. राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	0.44	5.00	0.45	0.00



## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
5. स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा पेशेवर निकाय	0.00	12.00	12.00	12.00
6. विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड	15.00	3.93	3.93	3.93
7. अनुसंधान प्रेरणा हेतु वैज्ञानिक नवोन्मेषी पहल (इन्सपायर)	3.75	0.00	0.00	0.00
8. विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	0.00	1.00	0.24	0.00
9. एलायंस और आरएंडडी मिशन	0.00	17.00	5.00	17.00
10. सुपर अभिकलन सुविधा तथा क्षमता	0.00	0.00	0.00	2.63
11. राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली	0.00	0.00	0.00	4.87
<b>उप-जोड़</b>	<b>22.49</b>	<b>61.93</b>	<b>25.97</b>	<b>69.43</b>
<b>मांग संख्या 89</b>				
<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>				
1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम	2711.19	1500.00	1500.00	1500.00
2. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) का कार्यान्वयन	72.05	100.00	84.00	90.00
3. अनु.जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	103.69	125.00	25.00	100.00
4. अनु.जातियों के लिए उच्च शिक्षा	14.82	25.00	15.00	21.00
5. सफाई कर्मचारियों के लिए मुक्ति एवं पुनर्वास की स्वरोजगार योजना	0.00	100.00	20.00	570.00
6. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	100.00	1.00	1.00	100.00
7. अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	63.65	10.00	9.00	10.00
8. अनु.जातियों व पिछड़े वर्ग के बालकों के लिये छात्रावास	65.91	145.00	27.00	75.00
9. अनु.जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग को मुफ्त कोचिंग	6.96	12.00	6.00	12.00
10. अनु.जातियों तथा अनु.जनजाति के छात्रों की मेरिट में स्तरोनयन	2.91	5.00	5.00	5.00
11. अनु.जाति उप-योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)	656.40	1200.00	1050.00	1051.00
12. कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	130.00	150.00	177.00	150.00
13. अनुसंधान प्रशिक्षण सूचना तथा विविध के लिए सहायता अनुदान	19.55	52.00	19.20	30.00
14. डा.अंबेडकर प्रतिष्ठान	1.00	1.00	1.00	1.00
15. अनु.जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियां	7.07	6.00	6.00	6.00
16. डा.अंबेडकर राष्ट्रीय केंद्र (नई स्कीम)	0.00	10.00	0.01	10.00
17. अनु.जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	0.00	824.00	938.70	900.00
18. डा.अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक केंद्र का विकास	0.00	14.00	0.01	14.00
19. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम में शेरर पूंजी	20.00	20.00	5.00	20.00
20. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना	0.00	0.00	0.00	35.00
21. सहायता उपकरणों के लिए विकलांगों को सहायता	0.00	0.00	0.00	28.00
22. विकलांगता अधिनियम 1995 हेतु व्यक्तियों का कार्यान्वयन	0.00	0.00	0.00	18.50
23. राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम	0.00	0.00	0.01	0.50
24. राष्ट्रीय विकलांग संस्थान	0.00	0.00	0.00	1.00
25. विकलांगों के लिए रोजगार	0.00	0.00	0.00	0.20
26. भारतीय पुनर्वास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.60
27. पीडब्ल्यूडी के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोशिप	0.00	0.00	0.00	2.00
28. विकलांगों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>3975.20</b>	<b>4300.00</b>	<b>3888.93</b>	<b>4755.80</b>
<b>मांग संख्या 93</b>				
<b>कपड़ा मंत्रालय</b>				
<b>केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं</b>				
<b>हथकरघा क्षेत्रक</b>				
1. विविधीकृत हथकरघा विकास स्कीम	0.00	1.00	1.00	0.00
2. मिलगेट मूल्य स्कीम	4.05	19.50	7.20	8.10
3. हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक कल्याण स्कीम	7.50	8.00	8.00	10.00
<b>हस्तशिल्प क्षेत्रक</b>				
4. अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	4.80	3.00	3.00	0.36
5. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन	1.23	1.50	1.50	3.57
6. विपणन सहायता, सेवा एवं निर्यात संवर्धन	1.96	2.50	2.50	3.17
7. अनुसंधान एवं विकास	0.08	0.50	0.50	0.60

## अनुसूचित जाति उप आयोजना के अंतर्गत स्कीमें

(करोड़ रुपए)

मंत्रालय/विभाग	बजट 2011-2012	संशोधित 2012-2013	बजट 2012-2013	बजट 2013-2014
8. मानव संसाधन विकास	0.85	1.50	1.50	2.47
<b>विद्युत करघा क्षेत्र</b>				
9. एकीकृत विद्युत करघा क्षेत्र विकास	0.00	0.20	0.20	0.50
10. समूह बीमा योजना	0.00	0.10	0.10	0.25
11. सामूहिक वर्कशेड स्कीम	0.00	0.50	0.50	0.50
<b>ऊन क्षेत्रक</b>				
12. एकीकृत ऊन सुधार और विकास	1.00	1.00	1.00	1.00
13. बड़े समूह	2.25	3.20	3.20	4.20
14. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)	0.00	0.43	0.00	0.00
15. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स)	166.56	117.50	97.45	100.25
16. एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना	0.00	8.00	8.00	11.00
17. जूट प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	1.60	1.60	0.00
18. साझा अनुपालन संहिता	0.00	1.00	1.00	0.00
19. मानव संसाधन विकास	6.65	25.00	25.00	25.00
20. जूट सहित तकनीकी कपड़े	0.00	1.50	1.50	2.20
<b>ख. केन्द्रीय प्रायोजित (हथकरघा क्षेत्र)</b>				
21. एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम	10.80	10.00	7.25	0.00
22. पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्संरचना स्कीम	10.00	122.50	34.03	9.00
23. विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम	1.49	2.75	1.75	0.00
<b>केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (रेशम कीट पालन क्षेत्र)</b>				
24. टीआरए सहित अनुसंधान और विकास	0.00	0.00	0.00	2.57
25. अवसंरचना और प्रौद्योगिकी स्कीम	0.00	0.00	0.00	2.50
26. स्वास्थ्य बीमा स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.26
27. साधारण विद्युत करघे के स्वस्थाने उन्नयन हेतु स्कीम	0.00	0.00	0.00	1.60
28. एकीकृत विद्युत करघा विकास व्यय	0.00	0.00	0.00	5.60
29. व्यापक हथकरघा विकास स्कीम	0.00	0.00	0.00	4.64
30. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	21.00	17.22	17.22	32.21
<b>उप-जोड़</b>	<b>240.22</b>	<b>350.00</b>	<b>225.00</b>	<b>231.55</b>
<b>मांग संख्या 105</b>				
<b>महिला और बाल विकास मंत्रालय</b>				
1. एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम	2360.74	3470.00	3470.00	3849.00
2. किशोरियों की अधिकारिता हेतु राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)- सबला	36.78	140.00	140.00	131.00
3. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएसएसवाई)	105.21	90.00	90.00	90.00
<b>उप-जोड़</b>	<b>2502.73</b>	<b>3700.00</b>	<b>3700.00</b>	<b>4070.00</b>
<b>मांग संख्या 106</b>				
<b>युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय</b>				
1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	18.42	17.56	17.94	17.64
2. राष्ट्रीय सेवा योजना	8.64	13.53	12.53	12.23
3. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	1.78	3.34	3.24	3.24
4. राष्ट्रीय युवा कोर	5.01	10.44	9.39	9.09
5. युवा और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.12	3.73	3.80	3.80
6. खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रोत्साहन हेतु सहायता	9.00	18.00	15.00	24.00
7. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	3.00	5.00	3.50	6.00
8. शहरी खेल अवसंरचना	1.00	6.00	3.00	7.00
9. पंचायत युवा केन्द्र और खेल अभियान	15.88	37.00	28.00	29.00
10. भारतीय खेल प्राधिकरण	35.00	46.00	41.00	56.00
<b>जोड़</b>	<b>97.85</b>	<b>160.60</b>	<b>137.40</b>	<b>168.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>28535.10</b>	<b>37113.03</b>	<b>33085.04</b>	<b>41561.13</b>

टिप्पणी : 1. स्कीमों के विवरण तथा अन्य सूचनाओं के लिए मंत्रालयों/विभागों के परिणाम बजट, उनकी वार्षिक रिपोर्टों तथा संबद्ध ब्यौरेवार अनुदान मांगों को देखें।